

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 2846 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जून 02, 2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नारायणबगड़ में फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.610 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/144755/2021

सन्दर्भ-

आपकी पत्र सं०- 1032/12-1, दिनांक-23.09.2024.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 5446/12-1 दिनांक 14.05.2026 से विषयांकित प्रकरण में चाही गई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई, जो निम्नप्रकार प्रेषित है।

क्र०सं०	प्रपत्र	प्रपत्र संलग्न (हां/नहीं)
1.	सक्षम अधिकारी/ऑनलाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी /कर्मचारी का प्रमाण पत्र	हां
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	हां
3.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	हां
4.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	हां
5.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	हां
6.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट।	हां, नये प्रारूप में तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है तथा संलग्न भी किया जा रहा है।
7.	1:50,000 पैमाने का टोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	हां
8.	डिजिटल मैप एवं सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	हां
9.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	हां
10.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	हां
11.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	हां
12.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र।	हां
13.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल	हां
14.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई	हां
15.	बार चार्ट।	हां
16.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र	हां
17.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण।	हां
18.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश	हां

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

01C

19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	हाँ
20	बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या का प्रमाण पत्र	लागू नहीं।
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	हाँ
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र।	हाँ
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी प्रमाण पत्र	हाँ
24	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (वन्य जीव क्षेत्र हेतु)	लागू नहीं
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्च न्यायालय एवं भारतीय वन्यजीव परिषद की अनुमति।	लागू नहीं
26	प्रभावित होने वाले ग्राम की आम सभाओं की अनापत्ति प्रमाण पत्र	हाँ
27	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थि, सामाजिक एवं पारिस्थितिय संतुलन का आंकलन (5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल प्रकरणों में लागू)	लागू नहीं
28	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।	हाँ
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण (केवल जल विद्युत परियोजना हेतु)	लागू नहीं
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों के ले-आउट प्लान	लागू नहीं
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	हाँ
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र	हाँ
33	पर्वतीय क्षेत्र में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाण पत्र	हाँ
34	मानक शर्त मान्य होने का प्रमाण पत्र	हाँ
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक /एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र	हाँ
36	वन्यजीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाने जाने का प्रमाण पत्र	हाँ
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र	हाँ
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामो/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण पत्र	हाँ
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण पत्र	लागू नहीं
40	क्षतिपूरक वनीकरण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र।	लागू नहीं
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थली की उपयुक्तता प्रमाण पत्र	हाँ
42	1:50000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	लागू नहीं।
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	लागू नहीं।
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण /दस गुना/बौनी प्रजातियां /100 वृक्षों का वृक्षारोपण का प्राक्कलन मानचित्र, उपयुक्तता प्रमाण पत्र	हाँ
45	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना प्रमाण पत्र	लागू नहीं।
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	हाँ
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	हाँ
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	हाँ

क्रमशः पेज 03 पर

49	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र	हां
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	हां
51	लीज अवधि का प्रमाण पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने / लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	लागू नहीं
52	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र।	हां
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैटप्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र	लागू नहीं
54	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति (यदि लागू हो)।	लागू नहीं
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 FC/11-43/2021-एफ0सी0 दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-		
a	In respect of linear projects the stipulated norms of 2% and 0.5 towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline date 08.06.2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charge from the user agency.	वन्यजीव प्रबन्धन योजना में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनुमोदन एवं मृदा-जल संरक्षण योजना में वन संरक्षक का अनुमोदन कर तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
b	The Provisions of wildlife Management plan or Soil Moisture Conservation plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited into the CAMPA account.	
55	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	लागू नहीं।
उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मलवा निस्तारण स्थल के सम्बन्ध में प्रकरण पर निम्नलिखित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे:-		
56	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जनउपयोगी कार्यो हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना उचित होगा।	हां (प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।)
57	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की स्थितीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	हां (प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।)
58	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	हां (प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।)
59	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लीप को बैचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वहे Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	हां (प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।)
60	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इन्विरोनिमेटनल इंजीनियरिंग रिसर्ज इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जायु।	हां (प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।)
61	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीको को Vesicular Arbuscular mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जायेगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	हां (प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।)

62	प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाय कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	हां (प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।)
63	वैकल्पिक/औचित्य प्रयोक्ता एजेन्सी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट(के0एम0एल0 फाईल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग जोन के लिए उचित औचित्य /टिप्पणियां देगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर ही मलवा का निस्तारण किया जाएगा।
64	प्रस्तावक विभाग को एकशपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जायेगी	हां
65	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Report Form A part II के अतिरिक्त सूचना में अपलोड की जानी अपेक्षित है।	हां
66	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी प्रस्ताव में अपलोड की जानी अपेक्षित है।	हां
67	प्रस्ताव में संलग्न शीट रिक्त संलग्न की गयी है उक्त प्रपत्र में सूचना अंकित की जाय।	हां
68	प्रस्ताव पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि प्रस्तावक विभाग पूर्व में स्वीकृत वन भूमि प्रस्ताव से सम्बन्धित कोई वित्तीय देनदारी नहीं है।	हां (प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।)
69	प्रस्ताव की हार्ड प्रति में पृष्ठ संख्या अंकित किये जाने अपेक्षित है।	प्रस्ताव में पृष्ठ सं0 अंकित कर दी गयी है।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीय,
(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक:- 2046/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।